भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2865

दिनांक 18 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

मसाला बोर्ड और एफएसएसएआई

2865. श्री टी. एम. सेल्वागणपति:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि मसाला बोर्ड और अधिक विनियम लाने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) और अन्य विनियामक एजेंसियों के साथ कार्य कर रहा है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि मसाला बोर्ड ने खाद्य सुरक्षा और अन्य अनुपालनों को बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ के निर्यातों हेतु अनिवार्य एथिलीन ऑक्साइड परीक्षण सहित कठोर गुणवत्ता नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क) और (ख): वर्तमान में, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, मसाला बोर्ड ने एक सलाहकार समिति 'राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता और सुरक्षा समिति (एनसीएसक्यूएस)' का गठन किया, है, जिसका उद्देश्य मसालों के लिए गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के विकास और समीक्षा के लिए सहयोगात्मक प्रयासों को सुविधा प्रदान करना है।

(ग) और (घ): मसाला बोर्ड ने आयातित देशों के विनियमों के आधार पर चयनित गंतव्यों के लिए चयनित मसालों की निर्यात खेपों का गुणवत्ता मूल्यांकन करना शुरू किया है। मसालों के निर्यात के लिए बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रणाली के तहत, निर्यात खेप, खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के लिए अनिवार्य पूर्व-शिपमेंट सैंपलिंग, परीक्षण और मंजूरी के अध्यधीन है, जिसमें यूरोपीय संघ के लिए निर्यात खेप हेतु एथिलीन ऑक्साइड परीक्षण शामिल है।

****